सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस
ई-नीलामी दिनांक- 18/01/2025

क्षेत्रीय कार्यालय– बुढ़ार रोड, शहडोल, मध्य प्रदेश

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति–दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई–नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ऋणी/प्रत्याभूति–दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि बिड वृद्धि राशि
1	बिरसिंहपुर पाली (म.प्र.) मोब.नं.– 93031 08362	1. मे. बीरासिनी फिलिंग स्टेशन मंगठार प्रोप. श्रीमति ममता मरकाम पत्नी श्री अरविंद कुमार (मूल उधारकर्ता) पता:-मंगठार रोड बिरसिंहपुर पाली (म.प्र.) 2. श्रीमति ममता मरकाम पत्नी श्री अरविंद कुमार (मूल उधारकर्ता) पता: बाणगंगा तिराहा रोड सोहागपुर, शहडोल (म.प्र.) 3. रामदीन कोल पिता दर्स कोल (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) पता: ग्राम देवगवां कला, तहसील नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.) नोटिस– 13(2)– दिनांक: 30/10/2021 नोटिस– 13(4)– दिनांक: 06/09/2022	रू. 15,65,266/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्तिः खसरा क्र. 45/1 का जुज, वार्ड क्र. 04, नौरोजाबाद ग्राम देवगवा पटवारी हल्का क्र. 92, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया (म.प्र.), भू–स्वामी/ संपत्ति बंधककर्ता– श्री रामदीन कोल पुत्र श्री दसई कोल, चतुर्सीमाः उत्तर– रेल्वे लाइन, दक्षिण– सरोज सिंह की जमीन, पूर्व– सरकारी भूमि, पश्चिम– सरकारी भूमि, कुल क्षेत्रफल– 130781.51 वर्गफुट/ 1.215 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई। प्रलक्षित कब्जा	रू. 22,50,000/- रू. 2,25,000/- रू. 50,000/-
2	बिरसिंहपुर पाली (म.प्र.) मोब.नं.– 93031 08362	1. मे. एस.के. इंजीनियरिंग सर्विस प्रोप्रा. मकबूल खान पिता मोहम्मद दाऊद खान (मूल उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता) 2. मकबूल खान पुत्र मोहम्मद दाऊद खान (मूल उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता) पता- खसरा नं. 351/18 क 1, ग्राम– गोरिया, मंगठार पाली मार्ग, तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.) 3. महबूब खान पुत्र मोहम्मद दाऊद खान (गारंटीदाता) पता– खसरा नं. 351/18 क 1, ग्राम– गोरिया, मंगठार पाली मार्ग, तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.) नोटिस– 13(2)– दिनांक: 17/03/2021 नोटिस– 13(4)– दिनांक: 04/05/2022	रू. 16,84,042/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्तिः खसरा क्र. 734/6/ख, पटवारी हल्का नं. 4, वार्ड नं. 9, ग्राम गोरिया मंगठार मार्ग, तहसील– पाली, जिला– उमरिया (म.प्र.), भू–स्वामी/ संपत्ति बंधककर्ता– मकबूल खान पुत्र मोहम्मद दाऊद खान। चतुर्सीमाः उत्तर– गोविंद शिवहरे की भूमि, दक्षिण– पाली– मंगठार मार्ग, पूर्व– गोविंद दास शिवहरे की भूमि, पश्चिम– नूरजहां की भूमि, कुल क्षेत्रफलः 1254 वर्गफट उस पर निर्मित भवन/इकाई। प्रलक्षित कब्जा	रू. 20,50,000/- रू. 2,05,000/- रू. 50,000/-
3	दुलारा अनूपपुर (म.प्र.) मोब.न.– 79890 55697	1. श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री लखन लाल गुप्ता (उधारकर्ता) 2. श्रीमति आशा गुप्ता श्री राजेश कुमार गुप्ता (सह– उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) पता: ग्राम लीला टोला पोस्ट बेल डोंगरी, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.)– 484881 नोटिस– 13(2)– दिनांक: 12/01/2024 नोटिस– 13(4)– दिनांक: 10/07/2024	रू. 5,99,597/- + ब्याज + विधिक व्यय	संपत्तिः खसरा क्र. 462/1/1/क/1/ 2, ग्राम लीला टोला पोस्ट बेल डोंगरी, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.), भू–स्वामी– श्रीमति आशा गुप्ता श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्सीमाः पूर्व– सियां लाहोर की भूमि, पश्चिम– मदन लाहोर की भूमि, उत्तर– रामगोपाल गुप्ता की भूमि, दक्षिण– लोकराम चौकसे की भूमि, क्षेत्रफलः 0.014 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई।	रू. 6,25,000/- रू. 62,500/- रू. 10,000/-
4	शहडोल (म.प्र.) मोब.न.– 62607 62262	1. श्रीमति काजल वर्मा पुत्री श्री सूर्य प्रकाश वर्मा (उधारकर्ता) 2. श्रीमति प्रेम्वती वर्मा पत्नी श्री सूर्य प्रकाश वर्मा (गारंटीदाता/संपत्ति बंधककर्ता) पता: ग्राम कोइलारी कल्याणपुर फाटक के पास, शहडोल (म.प्र.) नोटिस– 13(2)– दिनांक: 01/12/2022 नोटिस– 13(4)– दिनांक: 20/03/2023	रू. 10,47,336/- + ब्याज + विधिक व्यय	संपत्तिः खसरा क्र. 127/13/14, ग्राम कोइलारी, पटवारी हल्का कल्याणपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.), भू–स्वामी– श्रीमति प्रेमवती वर्मा पत्नी श्री सूर्य प्रकाश वर्मा, चतुर्सीमाः पूर्व– वेंडर की भूमि, पश्चिम– रवि गुप्ता की भूमि, उत्तर– वेंडर की भूमि, दक्षिण– रास्ता, क्षेत्रफलः 1250 वर्ग फीट उस पर निर्मित भवन/इकाई।	रू. 13,50,000/- रू. 1,35,000/- रू. 50,000/-
5	बुढ़ार (म.प्र.) मोब.न.– 79841 28189	1. श्री संजय विश्वकर्मा पुत्र श्री कमलेश विश्वकर्मा (उधारकर्ता) 2. श्रीमति नानबाई विश्वकर्मा पत्नी श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) 3. कमलेश विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रशाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) 4. श्री श्यामलाल विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) 5. श्री शोबनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) 6. श्री किशोरी विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) 7. श्रीमति सुनीता विश्वकर्मा पुत्री श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) पता: ग्राम–पोस्ट लालपुर हवाई अड्डे के सामने, शहडोल बुढ़ार मार्ग, थाना बुढ़ार, तहसील सोहागपुर, शहडोल (म.प्र.) नोटिस– 13(2)– दिनांक: 20/10/2021 नोटिस– 13(4)– दिनांक: 28/07/2022	रू. 34,71,734/- + ब्याज + विधिक व्यय	संपत्तिः खसरा क्र. 2631/1 एवं खसरा क्र. 2616/1, पटवारी हल्का क्र. 64, ग्राम लालपुर, तहसील सोहागपुर, बुढ़ार शहडोल मार्ग पर जिला शहडोल (म.प्र.) का कुल रकबा 59093.86 वर्गफुट (0.549 हेक्टर), भू–स्वामी– 1. श्रीमति नानबाई विश्वकर्मा पत्नी श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, 2. कमलेश विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, 3. श्री श्यामलाल विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, 4. श्री शोबनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, 5. श्री किशोरी विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, 6. श्रीमति सुनीता विश्वकर्मा पुत्री श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, चतुर्सीमाः पूर्व– ईश्वरदीन विश्वकर्मा पुत्र श्री रामदुलारे विश्वकर्मा की भूमि, पश्चिम– तुलसी बर्मन पत्नी बोमरु की जमीन की भूमि, उत्तर– नरेश, पुरषोत्तम पिता सीताराम एवं पार्वती पत्नी शिवदयाल की जमीन, दक्षिण– बुढ़ार– शहडोल मार्ग (NH-78) क्षेत्रफलः खसरा क्र. 2631/1 रकबा 16899.34 वर्गफुट (0.157 हेक्टर) एवं खसरा क्र. 2616/1 रकबा 42194.52 वर्गफुट (0.392 हेक्टर) कुल क्षेत्रफल 59093.86 वर्ग फीट (0.549 हे.) उस पर निर्मित भवन/इकाई।	रू. 1,00,00,000/- रू. 10,00,000/- रू. 1,00,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल http://baanknet.com पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220 या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मोब. 91-9683098247) या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ई मेल– recvshahro@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु संबंधित शाखा– बिरसिंहपुर पाली (म.प्र.) (मो. 93031 08362), दुलारा (मो. 79890 55697), शहडोल (मो. 62607 62262), बुढ़ार (मोब. 79841 28189) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक 01/01/2025 से 04/01/2025 को कर सकते हैं। उपरोक्त संबंधित सभी ऋणियों / प्रत्याभूति–दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 14/12/2024, स्थान: शहडोल (म.प्र.)

नगर पालिका परिषद, पसान

नगर पालिका परिषद पसान, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक- 18/01/2025

क्षेत्रीय कार्यालय– बुढ़ार रोड, शहडोल, मध्य प्रदेश

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई– नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्यामूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्यामूति–दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई– नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ऋणी/प्रत्याभूति–दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपतियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि बिड वृद्धि राशि
1	बिरसिंहपुर पाली (म.प्र.) मोब.नं.– 93031 08362	1. मे. बीरासिनी फिलिंग स्टेशन मंगठार प्रोप. श्रीमति ममता मरकाम पत्नी श्री अरविंद कुमार (मूल उधारकर्ता) पताः मंगठार रोड बिरसिंहपुर पाली (म.प्र.) 2. श्रीमति ममता मरकाम पत्नी श्री अरविंद कुमार (मूल उधारकर्ता) पताः बाणगंगा तिराहा रोड सोहागपुर, शहडोल (म.प्र.) 3. रामदीन कोल पिता दर्स कोल (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) पताः ग्राम देवगवा कला, तहसील नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.) नोटिस– 13(2)– दिनांकः 30/10/2021 नोटिस– 13(4)– दिनांकः 06/09/2022	रू. 15,65,266/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्तिः खसरा क्र. 45/1 का जुज, वार्ड क्र. 04, नौरोजाबाद ग्राम देवगवा पटवारी हल्का क्र. 92, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया (म.प्र.), भू–स्वामी/ संपत्ति बंधककर्ता– श्री रामदीन कोल पुत्र श्री दसई कोल, चतुर्सीमाः उत्तर– रेल्वे लाइन, दक्षिण– सरोज सिंह की जमीन, पूर्व– सरकारी भूमि, पश्चिम– सरकारी भूमि, कुल क्षेत्रफल– 130781.51 वर्गफुट/ 1.215 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई। प्रलक्षित कब्जा	रू. 22,50,000/- रू. 2,25,000/- रू. 50,000/-
2	बिरसिंहपुर पाली (म.प्र.) मोब.नं.– 93031 08362	1. मे. एस.के. इंजीनियरिंग सर्विस प्रोप्रा. मकबूल खान पिता मोहम्मद दाऊद खान (मूल उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता) 2. मकबूल खान पुत्र मोहम्मद दाऊद खान (मूल उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता) पता– खसरा नं. 351/18 क 1, ग्राम– गोरिया, मंगठार पाली मार्ग, तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.) 3. महबूब खान पुत्र मोहम्मद दाऊद खान (गारंटीदाता) पता– खसरा नं. 351/18 क 1, ग्राम– गोरिया, मंगठार पाली मार्ग, तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.) नोटिस– 13(2)– दिनांकः 17/03/2021 नोटिस– 13(4)– दिनांकः 04/05/2022	रू. 16,84,042/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्तिः खसरा क्र. 734/6/ख, पटवारी हल्का नं. 4, वार्ड नं. 9, ग्राम गोरिया मंगठार मार्ग, तहसील– पाली, जिला– उमरिया (म.प्र.), भू–स्वामी/ संपत्ति बंधककर्ता– मकबूल खान पुत्र मोहम्मद दाऊद खान। चतुर्सीमाः उत्तर– गोविंद शिवहरे की भूमि, दक्षिण– पाली– मंगठार मार्ग, पूर्व– गोविंद दास शिवहरे की भूमि, पश्चिम– नूरजहां की भूमि, कुल क्षेत्रफलः 1254 वर्गफट उस पर निर्मित भवन/इकाई। प्रलक्षित कब्जा	रू. 20,50,000/- रू. 2,05,000/- रू. 50,000/-
3	तुलारा अनूपपुर (म.प्र.) मोब.नं.– 79890 55697	1. श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री लखन लाल गुप्ता (उधारकर्ता) 2. श्रीमति आशा गुप्ता श्री राजेश कुमार गुप्ता (सह– उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) पताः ग्राम लीला टोला पोस्ट बेल डोंगरी, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.)– 484881 नोटिस– 13(2)– दिनांकः 12/01/2024 नोटिस– 13(4)– दिनांकः 10/07/2024	रू. 5,99,597/- + ब्याज + विधिक व्यय	संपत्तिः खसरा क्र. 462/1/1/क/1/ 2, ग्राम लीला टोला पोस्ट बेल डोंगरी, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.), भू–स्वामी– श्रीमति आशा गुप्ता श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्सीमाः पूर्व– सिया लाहोर की भूमि, पश्चिम– मदन लाहोर की भूमि, उत्तर– रामगोपाल गुप्ता की भूमि, दक्षिण– लोकराम चौकसे की भूमि, क्षेत्रफलः 0.014 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई।	रू. 6,25,000/- रू. 62,500/- रू. 10,000/-
4	शहडोल (म.प्र.) मोब.नं.– 62607 62262	1. श्रीमति काजल वर्मा पुत्री श्री सूर्य प्रकाश वर्मा (उधारकर्ता) 2. श्रीमति प्रेमवती वर्मा पत्नी श्री सूर्य प्रकाश वर्मा (गारंटीदाता/संपत्ति बंधककर्ता) पताः ग्राम कोइलारी कल्याणपुर फाटक के पास, शहडोल (म.प्र.) नोटिस– 13(2)– दिनांकः 01/12/2022 नोटिस– 13(4)– दिनांकः 20/03/2023	रू. 10,47,336/- + ब्याज + विधिक व्यय	संपत्तिः खसरा क्र. 127/13/14, ग्राम कोइलारी, पटवारी हल्का कल्याणपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.), भू–स्वामी– श्रीमति प्रेमवती वर्मा पत्नी श्री सूर्य प्रकाश वर्मा, चतुर्सीमाः पूर्व– वैंडर की भूमि, पश्चिम– रवि गुप्ता की भूमि, उत्तर– वैंडर की भूमि, दक्षिण– रास्ता, क्षेत्रफलः 1250 वर्ग फीट उस पर निर्मित भवन/इकाई।	रू. 13,50,000/- रू. 1,35,000/- रू. 50,000/-
5	बुढार (म.प्र.) मोब.नं.– 79841 28189	1. श्री संजय विश्वकर्मा पुत्र श्री कमलेश विश्वकर्मा (उधारकर्ता) 2. श्रीमति नानबाई विश्वकर्मा पत्नी श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) 3. कमलेश विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रशाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) 4. श्री श्यामलाल विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) 5. श्री शोबनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) 6. श्री किशोरी विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) 7. श्रीमति सुनीता विश्वकर्मा पुत्री श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) पताः ग्राम–पोस्ट लालपुर हवाई अड्डे के सामने, शहडोल बुढार मार्ग, थाना बुढार, तहसील सोहागपुर, शहडोल (म.प्र.) नोटिस– 13(2)– दिनांकः 20/10/2021 नोटिस– 13(4)– दिनांकः 28/07/2022	रू. 34,71,734/- + ब्याज + विधिक व्यय	संपत्तिः खसरा क्र. 2631/1 एवं खसरा क्र. 2616/1, पटवारी हल्का क्र. 64, ग्राम लालपुर, तहसील सोहागपुर, बुढार शहडोल मार्ग पर जिला शहडोल (म.प्र.) का कुल रकबा 59093.86 वर्गफुट (0.549 हेक्टर), भू–स्वामी– 1. श्रीमति नानबाई विश्वकर्मा पत्नी श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, 2. कमलेश विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, 3. श्री श्यामलाल विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, 4. श्री शोबनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, 5. श्री किशोरी विश्वकर्मा पुत्र श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, 6. श्रीमति सुनीता विश्वकर्मा पुत्री श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा, चतुर्सीमाः पूर्व– ईश्वरदीन विश्वकर्मा पुत्र श्री रामदुलारे विश्वकर्मा की भूमि, पश्चिम– तुलसी बर्मन पत्नी क्षोमरज की जमीन की भूमि, उत्तर– नरेश, पुरषोत्तम पिता सीताराम एवं पार्वती पत्नी शिवदयाल की जमीन, दक्षिण– बुढार– शहडोल मार्ग (NH-78) क्षेत्रफलः खसरा क्र. 2631/1 रकबा 16899.34 वर्गफुट (0.157 हेक्टर) एवं खसरा क्र. 2616/1 रकबा 42194.52 वर्गफुट (0.392 हेक्टर) कुल क्षेत्रफल 59093.86 वर्ग फीट (0.549 हे.) उस पर निर्मित भवन/इकाई।	रू. 1,00,00,000/- रू. 10,00,000/- रू. 1,00,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल http://baanknet.com पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220 या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मोब. 91-9693096247) या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ई मेल- recvshahro@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपति के निरीक्षण/ जानकारी हेतुः संबंधित शाखा– बिरसिंहपुर पाली (म.प्र.) (मो. 93031 08362), तुलारा (मो. 79890 55697), शहडोल (मोब. 62607 62262), बुढार (मोब. 79841 28189) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक 01/01/2025 से 04/01/2025 को कर सकते हैं। उपरोक्त संबंधित सभी ऋणियों / प्रत्यामूति–दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांकः 14/12/2024, स्थानः शहडोल (म.प्र.)

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक :- 18/01/2025
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
18/01/2025 समय: दोपहर12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक	18/01/2025 साँय 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।

2. नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd) के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – **दिनांक:- 18/01/2025 को (समय: दोपहर12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी।** निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन मे वृद्धि कर सकता है।

3. विस्तृत विवरण को डाउनलोड़ करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल http://www.centralbankofindia.co.in पर आएं अथवा ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** है।

4. निविदाकर्ता https://ebikray.in **(Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर विजिट कर सकते हैं जहां निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच. ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ईमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/(RTGS)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वतीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।

कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।

5. ई-नीलामी प्लेटफार्म https://ebikray.in **(Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता-**PSB Alliance Pvt Ltd** द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय Unit 1, Third Floor, VIOS Commercial Tower, Near Wadala Truck Terminal, Wadala East , Mumbai-400037 में है. इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को इ-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट http://www.centralbankofinda.co.in, https://ebikray.in **(Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का PSB Alliance Pvt Ltd के पोर्टल

(**https://ebikray.in (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड़ कर सकते हैं । इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. **91-82912 20220** या E-mail id **support.baanknet@psballiance.com** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए(EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।

7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT/RTGS) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** निविदाकर्ता के ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (इएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।

8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक:- 18/01/2025 साँय 4.00 बजे तक।**

9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे संबंधित संपत्ति के सामने उद्धत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन मे वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।

10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।

12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा. (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**

13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना

होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढे हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
5357325608	AUTHORISED OFFICER RO SHAHDOL	CBIN0280787 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शहडोल, शहडोल (म.प्र.)

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने मे असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुन: नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क,फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।

16. सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियां, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोडने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है. अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।

18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है. निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार,देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण,मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार,गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयतएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है,(अगर कोई हैं). आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है. सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।

20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध **(PSB Alliance Pvt Ltd)** के वेब पोर्टल **https://ebikray.in (Now https://baanknet.com) (PSB Alliance Pvt Ltd)** और **www.centralbank ofindia.co.in** पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृतशर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।

21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्यों कि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।

22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.

23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा – **बिरसिंहपुर पाली (मोब:-93031 08362), तुलारा (मोब:- 79890 55697),शहडोल (मोब:-62607 62262),बुढ़ार (मोब:-79841 28189)** से बैंकिंग कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध मे अन्य किसी जानकारी के लिए **श्री रामा कान्त मिश्रा (मो:-91-96930 96247), एवं श्री संजय कैन (मो:-91-9407586814)** , क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल, **ईमेल- recvshahro@centralbank.co.in** से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
For Central Bank of India
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Auth. Signatory
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)
Regional Office, Shahdol (M.P.)

स्थान : शहडोल
दिनांक :14/12/2024

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 7005 क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल